संख्या-26/2024/।/522198/2024/71-2099-964-2021

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024**

विषयः- के0जी0एम0यू0 के आई0डी0एच0 परिसर में निर्माणाधीन सेन्टर फॉर आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज भवन में स्थाई विद्युत संयोजन हेतु धनराशि की वित्तीयप्रशासकीय/ स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-11945/योजना अनु0/2024, दिनांक 13.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के आई0डी0एच0 परिसर में निर्माणाधीन सेन्टर फॉर आर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटीज भवन में स्थाई विद्युत संयोजन हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-31 एवं अनुदान संख्या-83 मे प्राविधानित धनराशि मे से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के सेन्टर फार आर्थोपेडिक सुपर-स्पेशियलिटीज भवन में स्थाई विद्युत संयोजन हेतु धनराशि (अनुदान संख्या-31 से रू0 3,21,26,000/- एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 85,40,000/-) अर्थात कुल धनराशि रू0 40666000/- (चार करोड़ छः लाख छियासठ हजार मात्र) को अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1) **स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।**
2) **प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।**
3) **प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
4) **कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023 231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण संबंधी वित्तीय नियमों/परिनियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।**
5) **स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।**
6) **प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/वि0वि0 के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।**
7) **जी0एस0टी0 के संदर्भ में विद्यमान नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आकलन से संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8) द्विरावृत्ति से बचने हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत निर्माण कार्य की मदों के अंतर्गत कोई अन्य 'कर' का भुगतान नहीं किया गया है।

9) धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 3,21,26,000/- (रुपये तीन करोड़ इक्कीस लाख छब्बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 85,40,000 (रुपये पचासी लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-26/2024/।/522198/2024/71-2099-964-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3
7) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8) परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-13, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
9) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
10) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।